

23/02/2026

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीया अनुपस्थित,
स्वयं वादीया भी अनुपस्थित। प्रतिवादी
सं. 4, 5, 7 का जवाब दावा पेश, शां
फाव वादीया व वकील वादीया को तीन
बार कक-कक कर आवाज लगाई लेकिन
कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण
को अन्तर्गत OGRS CPC अधिनियम दायरी अधिनियम
पेशी में खारिज किया जाता है पत्रावली
कैलल शुमार होकर नम्बर से कम होकर
बाद लगील दाखिल इफलर हो।



[Handwritten Signature]

23/2/26

उपखण्ड अधिकारी

पिडावा, जिला इलाहाबाद (सज)

